बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

FAX
E.Mail

पत्रांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)– 2360 खाद्य, पटना/दिनांक– 16.04.12

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2011–12 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के भंडारण एवं मिलिंग के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं की गयी कार्रवाई से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय :–

1. सभी कैप/खुले रूप से भंडारण स्थल पर पर्याप्त Water Proof Cover की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय ।
2. इस माह के अन्त तक अधिप्राप्ति किये गये धान को प्राथमिकता के आधार पर मील/मिलर्स को निश्चित रूप से प्राप्त करा दिया जाय ।
3. अधिप्राप्ति किये गये धान की मिलिंग शीघ्रता के साथ पूर्ण करायी जाय । अगर किसी परिस्थिति में मिलिंग पूर्ण नहीं हो पाती है तो राज्य खाद्य निगम/मिलर्स बचे हुए धान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में बचे हुए धान खुले स्थान पर नहीं रखा जाय ताकि धान को सड़ने/नष्ट होने/बर्बाद होने से बचाया जा सके ।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/11(खंड–1)– 2360 खाद्य, पटना/दिनांक– 16.04.12

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

D:\2012\Sec_4\KMS.doc